गंगोत्री नदी घाटी विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल स्थायी निधि संचालन नियमावली, 2005

नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन के नियंत्रणाधीन उत्तरांचल नदी घाटी (विकास एवं प्रबंध) विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) अधिनियम, 2005 द्वारा की गई है । इस अधिनियम की धारा–12 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण की स्थायी निधि रखने की व्यवस्था है। प्राधिकरण इस प्रकार स्थापित निधि में प्राप्तियों तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान या किसी अन्य रूप में प्राप्त धन को इसमें जमा करेगा।

उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) अधिनियम, 2005 के प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा स्थापित निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नही किया जायेगा। इस प्रकार स्थापित स्थायी निधि से अर्जित होने वाले ब्याज से प्राधिकरण की विकास से सम्बन्धित गतिविधियों का वित्त पोषण किया जायेगा।

इस स्थायी निधि के संचालन हेतु प्रबन्धन नियमावली निम्नानुसार होगी :–

1– स्थायी निधि की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य उपलब्ध बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो की यथोचित शाखा में रखी जायेगी और इसे एक निश्चित अवधि के लिए सावधि खाते के रूप में जमा किया जायेगा।

2– उक्त निधि से प्राप्त होने वाले ब्याज का विनियोजन वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–बी–1–848/दस–99, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, दिनांक 9 मार्च, 1999 के अनुसार निम्नवत् किया जायेगा :–

(क)– पूरे वर्ष में अर्जित होने वाले ब्याज का अधिकतम 1/3 भाग राजस्व व्यय की मदों में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा व्यय किया जा सकेगा। राजस्व व्यय की मदें निम्नवत् हैं :–

(1) प्राधिकरण /कार्यपालिका समिति द्वारा परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु प्रदत्त परामर्श के अनुपालनार्थ।
(2) प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र हेतु पौधों की प्रजातियों की पौधशाला को विकसित करने पर व्यय हेतु।
(3) प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित आवश्यक साहित्य आदि के क्रय एवं प्रकाशन हेतु।
(4) प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु वनस्पति उद्यान (बोटोनिकल गार्डन) की स्थापना पर व्यय हेतु।
(5) प्राधिकरण द्वारा उच्च स्तरीय राष्ट्रीय स्तर के वार्षिक सेमिनार/ कान्फ्रेन्स/कार्यशालाओं, व्याख्यान मालाओं के आयोजन तथा तद्सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशन हेतु।

.....2/–

(ख)– अर्जित होने वाले ब्याज का अधिकतम 1/3 भाग पूँजीगत मदों में होने वाले व्यय में खर्च किया जा सकेगा। पूँजीगत व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :–

(1) प्राधिकरण के कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण हेतु जैसे– कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, आडियो/विडियो यंत्रों के क्रय पर व्यय।

(2) शासन के मार्ग निर्देशानुसार एवं अधिनियम में वर्णित पूँजीगत मद की अन्य मदों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

(ग)– अवशेष का न्यूनतम 1/3 भाग को पुनः निधि की धनराशि में आमेलित करते हुए प्लाऊबैक कर विनियोजित किया जाय जिससे निधि की धनराशि का वास्तविक मूल्य में मुद्रा–स्फीति (इनफलेशन) के कारण ह्रास नगण्य होगा।

3– प्रत्येक वर्ष उक्त निधि से अर्जित होने वाली ब्याज की धनराशि की सूचना बैंक के प्रमाण–पत्र सहित प्राधिकरण के वित्त अधिकारी द्वारा शासन को दी जायेगी।

4– ब्याज की धनराशि की सूचना शासन को प्रस्तुत होने के पश्चात कार्यपालिका समिति की अनुमति से धनराशि का आहरण किया जायेगा और इसे बचत खाते में रखा जायेगा।

5– उक्त निधि से अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि तथा इसके सापेक्ष व्यय होने वाली धनराशि का विवरण कार्यपालिका समिति द्वारा रखा जायेगा तथा प्रत्येक माह इसका विवरण प्राधिकरण को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

6– उक्त निधि से अर्जित ब्याज की धनराशि का व्यय प्राधिकरण की विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर ही सुनिश्चित किया जायेगा। यह अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दायित्व होगा कि अनुमन्य व्यय किसी प्रकार से, किसी भी रूप में प्राधिकरण की साज–सज्जा, वेतन, अनुरक्षण इत्यादि मदों में व्यय नहीं किया जायेगा।

7– यदि किसी कारणवश धनराशि का व्यय अथवा इसके किसी अंश का व्यय नहीं किया जा सके तो इसकी सूचना प्राधिकरण को दी जाय और धनराशि तत्काल बैंक में बचत खाते में जमा करा दी जाय जिसका आहरण आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका समिति की अनुमति से किया जायेगा।

8– उपयोग की गयी धनराशि का उपयोग प्रमाण–पत्र व्यय के एक माह के अन्दर प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

9– वर्ष भर के विकास कार्यक्रमों की रूप रेखा प्राधिकरण की कार्यपालिका समिति द्वारा तैयार कर ली जायेगी तत्पश्चात समय–समय पर कार्यक्रमों की आवश्यकतानुसार प्राधिकरण की अनुमति से पूर्व निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु धनराशि का आहरण किया जायेगा।

3/–

10– वर्ष के सावधि खाते के अर्जित ब्याज को बचत खाते में रखने पर उस पर अर्जित ब्याज का उपयोग " आकस्मिक व्यय " (कन्टीन्जेन्सी) हेतु किया जा सकेगा। बचत खाते से ही विभिन्न विकास कार्यक्रमों हेतु समय–समय पर धनराशि का आहरण कार्यपालिका समिति की अनुमति से किया जायेगा।

11– स्थायी निधि के लेखों की जाँच उत्तरांचल नदी घाटी (विकास एवं प्रबंध) अधिनियम–2005 की धारा 14 (2) के अनुसार की जायेगी।

12– स्थायी निधि से अर्जित ब्याज तथा बचत खाते के ब्याज की धनराशि के जमा तथा आहरण प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वित्त अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

13– जिन कार्यक्रम/गतिविधियों पर व्यय किया जायेगा, उनकी प्रगति एवं उपलब्धियों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के लिए, त्रैमास समाप्ति के 15 दिन के अन्दर शासन को अवगत कराया जायेगा।

14– प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के व्यय में यथासम्भव मितव्ययता बनाये रखते हुए बचत करने का भी प्रयास किया जायेगा ताकि ब्याज की धनराशि का अपव्यय न हो सके। व्यय होने वाली धनराशि का मदवार विवरण कार्यपालिका समिति द्वारा तैयार किया जायेगा तथा इसमें पारदर्शिता बनाये रखते हुए प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

15– स्थायी निधि सलाहकार समिति का गठन प्राधिकरण की कार्यपालिका समिति द्वारा किया जायेगा जिसमे निम्नांकित होंगे :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
2– प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र से एक नामित जनप्रतिनिधि।
3– उत्तरांचल शासन के नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर सचिव से अनिम्न हो।
4– प्राधिकरण के वित्त एवं लेखाधिकारी।

यह नियमावली वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के अशासकीय संख्या–1118/XXVII/5(1)/2005, दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

अमरेन्द सिन्हा
सचिव।

.....4/–

उत्तरांचल शासन,
नियोजन अनुभाग,
संख्या–715/XXVI/एक (75)/2005
देहरादून: दिनांक 27 दिसम्बर, 2005

उपर्युक्त नियमावली की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल।
3– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नई टिहरी।
5– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, नई टिहरी।
6– निजी सचिव उपाध्यक्ष, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, को मा0 उपाध्यक्ष के सूचनार्थ।
7– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– वित्त विभाग–1
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन,
नियोजन अनुभाग,
संख्या–715/XXVI/एक (75)/2005
देहरादून दिनांक 27 दिसम्बर, 2005

उपर्युक्त नियमावली की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल।
3– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नई टिहरी।
5– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, नई टिहरी।
6– निजी सचिव उपाध्यक्ष, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, को मा0 उपाध्यक्ष के संज्ञानार्थ।
7– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– वित्त विभाग–1
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।